आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार

(बिहार सरकार का एक उपक्रम)
प्रथम तल, उद्योग भवन, पूर्वी गाँधी मैदान, पटना।
Email-md@idabihar.com , Web-www.idabihar.com, phone: 0612-2675933, 2675935, Fax no-2675934

सकारण आदेश

माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर LPA No. 270/2020 दिनांक 22.02.2021 को पारित न्यायादेश के आलोक में यह सकारण आदेश पारित किया जा रहा है :–

I. औद्योगिक क्षेत्र EPIP Hajipur में Storm Water Drainage के निर्माण कार्य हेतु आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, पटना द्वारा M/s Anand Consultant, House No. – 157/C, Patliputra Colony, Patna -13 के साथ एकरारनामा सं0 103/SBD/2015-16 दिनांक 31.07.2015 को किया गया था, जिसके अनुसार कार्य प्रारंभ करने की तिथि 31.07.2015 एवं कार्य समाप्ति की तिथि दिनांक 31.01.2017 एवं एकरारित राशि रु0 17,72,40,657.00 मात्र थी।

II. संवेदक द्वारा एकरारनामा के समय दिये गए Bar-Chart के अनुसार कार्य की प्रगति धीमी रहने के कारण संवेदक को विभिन्न पत्रों के द्वारा कार्य में प्रगति लाने एवं अन्य आवश्यक निदेश दिया गया, जिसका विवरण निम्नलिखित है :–

- पत्रांक 1867/Tech दिनांक 14.09.2015 के द्वारा संवेदक को Pre-Level लेने, Bar-Chart उपलब्ध कराने, कार्यस्थल पर Plants एवं Equipments लगाने का निदेश दिया गया।
- पत्रांक 2181/Tech दिनांक 05.11.2015 के माध्यम से पत्रांक 1867/Tech दिनांक 14.09.2015 का अनुपालन करने एवं कार्य की प्रगति तेज करने का निदेश दिया गया।
- पत्रांक 211/Tech दिनांक 28.01.2016 के द्वारा पत्रांक 1867/Tech दिनांक 14.09.2015 का अनुपालन करने एवं कार्य की प्रगति बढ़ाने हेतु निदेश दिया गया।
- पत्रांक 388/Tech दिनांक 22.02.2016 के द्वारा उपरोक्त प्रसांगिक पत्रों का अनुपालन करने एवं कार्य की प्रगति तेज करने का निदेश दिया गया। साथ ही एकरारनामा के कंडिकाओं के अनुरुप दंडात्मक कार्रवाई करने पर विचार करने हेतु पत्र दिया गया।
- पत्रांक 1080/BOT दिनांक 13.05.2016 के द्वारा धीमी कार्य प्रगति हेतु खेद प्रकट किया गया एवं सूचित किया गया कि प्राधिकार आपके विरुद्ध एकरारनामा के कंडिकाओं के अनुरुप दंडात्मक कार्रवाई करने हेतु स्वतंत्र होगा।
- पत्रांक 1219/BOT दिनांक 31.05.2016 के द्वारा कार्य की प्रगति तेज करते हुए मुख्य नाला एवं Connectivity का कार्य शीघ्र पूर्ण करने का निदेश दिया गया।
- पत्रांक 1513/BOT दिनांक 14.07.2016 के माध्यम से लगभग 15 दिनों से कार्यस्थल पर नगन्य कार्य को Work Programme के अनुरुप कार्य की प्रगति में तेजी लाने का निदेश दिया गया।
- उच्च स्तरीय समीक्षात्मक बैठक में कार्य की प्रगति पर असंतोष व्यक्त किया गया एवं Disposal Point के कार्य को प्राथमिकता के आधार पर पहले तैयार करने का निदेश दिया गया। साथ ही कार्य का अद्यतन चालू विपत्र का भुगतान होने के उपरांत भी ससमय कार्य पूर्ण करने हेतु कोई ठोस कर्रवाई संवेदक द्वारा नहीं किया जा रहा था। पत्रांक 1802/Tech दिनांक 23.08.2016 के माध्यय से खेद प्रकट किया गया।

- पत्रांक 1922/Tech दिनांक 07.09.2016 के द्वारा सड़क पर फैले Excavated Slush सड़क पर से हटाने एवं कार्य की प्रगति तेज करने का निदेश दिया गया।
- पत्रांक 2035/Tech दिनांक 26.09.2016 के द्वारा Pump, D.G. Set, Electric Pannel, Transformer, DI Pipe इत्यादि का Status कार्यालय को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।
- संवेदक द्वारा समर्पित Bar-Chart एवं Undertaking के अनुसार Sump एवं DI Pipeline का कार्य दिनांक 15.11.2016 से आरंभ करना था, जो आरंभ नहीं किया गया था। पत्रांक 2370/Tech दिनांक 24.11.2016 के द्वारा खेद प्रकट किया गया एवं कार्य की प्रगति बढ़ाते हुए शेष अवधि में कार्य पूर्ण करने का निदेश दिया गया।
- पत्रांक 392/Tech दिनांक 03.03.2017 के माध्यम से लगातार पत्राचार के बावजूद संवेदक द्वारा समर्पित Bar-Chart के अनुरुप कार्य समाप्त नहीं किये जाने पर खेद प्रकट किया गया। साथ ही संवेदक द्वारा समर्पित अवधि विस्तार हेतु निम्न बिन्दुओं का अनुपालन सुनिश्चित करने के निदेश दिया गया –
  I. संवेदक द्वारा समर्पित पत्र में अवधि विस्तार की तिथि एवं
  II. विस्तारित अवधि में किसी तरह का वित्तीय दावा नहीं करने का शपथ–पत्र
- पत्रांक 473/Tech दिनांक 16.03.2017 के द्वारा कार्य की प्रगति पर खेद प्रकट किया गया। साथ ही कार्य की उपेक्षा हेतु प्राधिकार के प्रति अपने दायित्व का घोर अनुशासनहीनता एवं कर्तव्यहीनता हेतु पत्र निर्गत किया गया।
- पत्रांक 676/Tech दिनांक 21.04.2017 के माध्यम से पूर्व पत्रों का अनुपालन एक सप्ताह में करके प्राधिकार को प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया। साथ ही एकरारनामा के सुसंगत कंडिकाओं के अनुसार कार्य पूर्ण होने तक अगली निविदा में भाग लेने से वंचित (Debar) करने का Notice दिया गया।

III. कार्य की प्रगति तीव्र करने एवं पूर्ण करने हेतु प्राधिकार द्वारा विभिन्न पत्रों के माध्यम से संवेदक को निदेश दिया गया, किन्तु निर्धारित अवधि समाप्त होने के बाद भी कार्य की प्रगति मात्र 25% ही रही। प्राधिकार के पत्रांक 1391/Tech. दिनांक 26.07.2017 द्वारा निर्माण कार्य की प्रगति धीमी रखने के कारण काली सूची में अंकित करने के संबंध में स्पष्टीकरण निर्गत किया गया था। संवेदक M/s Anand Consultant द्वारा दिनांक 04.08.2017 को प्राधिकार कार्यालय में स्पष्टीकरण का जवाब समर्पित किया गया। स्पष्टीकरण का जवाब स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण प्राधिकार के कार्यालय आदेश सं0 20 दिनांक 04.09.2017 सह पठित ज्ञापांक 1608/Tech. दिनांक 04.09.2017 द्वारा निम्नांकित आदेश पारित किया गया –

"एकरारनामा सं0 103/SBD/2015-16 दिनांक 31.07.2015 को रद्द करते हुए M/s Anand Consultant, House No. – 157/C, Patliputra Colony, Patna -13 को निबंधन सं0 IDA/06/Class-I/2013 को बिहार ठेकेदारी निबंधन नियमावली 2007 के कंडिका 11 (क) (ii) के आलोक में कालीकृत करते हुए सुरक्षित जमा राशि एवं EMD को जब्त करने का आदेश निर्गत किया गया।"

IV. उक्त आदेश के विरुद्ध संवेदक M/s Anand Consultant द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में रिट याचिका (CWJC No. 13601/2017) दायर किया गया, जिसके आलोक में न्यायालय द्वारा दिनांक 14.03.2018 को निम्नांकित आदेश पारित किया गया –

1040
5

"In the above view of the matter, the impugned order dated 04.09.17 (Annexure-12) is hereby quashed and the matter remanded to the Director (Project & Implementation), Infrastructure Development Authority, 1st Floor, Udyog Bhawan, East of Gandhi Maidan, Patna – 800004 (Respondent No. 4) to pass orders afresh after considering the aforesaid replies of the petitioner, pursuant to the show cause notice before passing fresh orders in accordance with law."

V. उक्त निर्णय के आलोक में तत्कालीन निदेशक (कार्यक्रम कार्यान्वयन) द्वारा संवेदक M/s Anand Consultant से प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा की गई एवं सभी तकनीकी बिन्दुओं पर विस्तृत रुप से मंतव्य अंकित किया गया। समीक्षोपरांत निदेशक (कार्यक्रम कार्यान्वयन) द्वारा ज्ञापांक 830/Tech. दिनांक 17.05.2018 द्वारा निम्नांकित निर्णय दिया गया –

"M/s Anand Consultant के दावा को अमान्य करते हुए पुनः एकरारनामा सं0 103/SBD/2015-16 दिनांक 31.07.2015 को रद्द करते M/s Anand Consultant, House No. – 157/C, Patliputra Colony, Patna -13 के निबंधन सं0 IDA/06/Class-I/2013 को बिहार ठेकेदारी निबंधन नियमावली 2007 के कंडिका 11 (क) (ii) के आलोक में 03 वर्षों के लिए कालीकृत किया जाता है एवं M/s Anand Consultant के सुरक्षित जमा राशि एवं EMD को जब्त किया जाता है।"

VI. निदेशक (कार्यक्रम कार्यान्वयन) द्वारा निर्गत कार्यालय ज्ञापांक 830/Tech. दिनांक 17.05.2018 के विरुद्ध संवेदक M/s Anand Consultant द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में पुनः एक रिट याचिका (CWJC No. 13670 / 2018) दायर किया गया। उच्च न्यायालय द्वारा उक्त मामले की सुनवाई प्रारंभ की गयी एवं इस बीच निदेशक (कार्यक्रम कार्यान्वयन) के द्वारा निर्गत आदेश को Abeyance में रखा गया। माननीय उच्च न्यायालय का दिनांक 08.08.2018 के आदेश इस प्रकार है –

"Put the matter on 16th August, 2018 in the meantime the order dated 17.05.2018 as contained in Annexure P/15 and P/15-1 shall remain in abeyance."

तत्पश्चात् दिनांक 06.05.2019 को माननीय उच्च न्यायालय ने अपने आदेश को Reserve कर दिया।

VII. संवेदक M/s Anand Consultant द्वारा दायर रिट याचिका (CWJC No. 13670/2018) पर माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा दिनांक 14.08.2020 के आदेश द्वारा निम्नांकित निर्णय दिया गया –

"Considering the facts and circumstances of the present case and for the reason mentioned herein above in the preceding paragraphs, I do not find any merit in the present writ petition, hence the same stands dismissed, however, with liberty to the petitions to avail such other appropriate remedies as are available to it under the law."

VIII. माननीय उच्च न्यायालय के दिनांक 14.08.2020 के आदेश के विरुद्ध संवेदक द्वारा LPA No. 270/2020 दायर किया गया, जिसके आलोक में न्यायालय द्वारा दिनांक 22.02.2021 को निम्नांकित निर्णय दिया गया –

P.T.O.

"In fact and circumstances of present case, this court is not inclined to interfere in the order by which agreement has been terminated, however so far as order of blacklisting and for feature of earnest money is concerned, same is set aside and matter is remanded to the Director (Project Implementation), Infrastructure Development Authority (respondent no. 4) to pass a fresh order in accordance with law within two months from the date of receipt/production of a copy of order passed by this court. The LPA is disported of."

IX. माननीय उच्च न्यायालय के दिनांक 22.02.2021 के आलोक में निदेशक (कार्यक्रम कार्यान्वयन) द्वारा पत्रांक 740/Tech. दिनांक 03.04.2021 के माध्यम से संवेदक M/s Anand Consultant से तीन बिन्दुओं पर यथा एकरारनामा रद्दीकरण, कालीकृत किए जाने तथा सुरक्षित जमा राशि के संदर्भ में लिखित प्रतिवेदन समर्पित करने हेतु निदेशित किया गया, किन्तु संवेदक द्वारा अपने पत्रांक AC/01/2021-22 दिनांक 15.04.2021 द्वारा सूचित किया गया कि उन्होंने माननीय उच्च न्यायालय के दिनांक 22.02.2021 के विरुद्ध माननीय सर्वोच्च न्यायालय में SLP दायर किया है, जिसके निर्णय के पश्चात् ही प्राधिकार द्वारा निर्गत नोटिस का उत्तर समर्पित करेंगे।

X. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संवेदक के द्वारा दायर SLP No. 6255/2021 को खारिज किया गया। सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 07.05.2021 का निर्णय इस प्रकार है –

"Having relegated the matter with respect to two issues out of three issues, the Division Bench however did not find substance in the submission with respect to the issue of termination of the contract. Effectively, the order passed by the Single Judge with respect to the issue of termination of the agreement thus stood affirmed by the Division Bench."

In the circumstances, we see no reason to interfere in the matter. The special Leave Petition is accordingly dismissed.

XI. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के उपरांत संवेदक M/s Anand Consultant द्वारा अपने पत्र दिनांक 27.05.2021 द्वारा प्राधिकार से निर्गत नोटिस का जवाब समर्पित किया गया।

XII. माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा *CWJC No. 13670/2018* में निर्गत आदेश दिनांक 14.08.2020, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा *LPA No. 270/2020* में निर्गत आदेश दिनांक 22.02.2021 एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा *SLP No. 6255/2021* में निर्गत आदेश दिनांक 07.05.2021 के आलोक में अद्योहस्ताक्षरी द्वारा Fresh Order निर्गत करने हेतु संवेदक M/s Anand Consultant द्वारा समर्पित लिखित प्रतिवेदन में उल्लेखित विभिन्न बिन्दुओं की समीक्षा की गई, जो इस प्रकार है –

1. माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा *CWJC No. – 13601 of 2017 (Anand Consultants V/s State of Bihar & Others)* में कार्यालय आदेश संख्या 1608/Tech दिनांक 04.09.2017 को रदद् कर दिया गया एवं निदेशक (कार्यक्रम कार्यान्वयन) को Fresh Order निर्गत करने का आदेश दिया गया, जिसके आलोक में निदेशक (कार्यक्रम कार्यान्वयन) द्वारा IDA/00/217/18 दिनांक 17.05.2018 सह पठित ज्ञापांक 830/Tech दिनांक 17.05.2018 के माध्यम से सकारण आदेश निर्गत किया गया, जिसमे एकरारनामा को रदद् करते हुए संवेदक M/s Anand Consultants को 03 वर्षों के लिए कालीकृत किया गया है एवं इनके सुरक्षित जमा राशि एवं EMD को जब्त किया गया है।

1039
(3)

2. संवेदक मेसर्स आनंद कंसल्टेंट को कार्य अंतिम रूप से दिनांक 31.01.2017 तक समाप्त करना था। Revised Work Program के अनुसार भी EPIP का कार्य दिनांक 31.01.2017 तक पूर्ण करना था, लेकिन इनका कार्य दिनांक 04.09.2017 तक लगभग 25 प्रतिशत तक ही किया गया। इनके द्वारा Revised Work Program दिया गया था, जिसके अनुसार EPIP माह जनवरी, 2017 एवं शेष सभी कार्य माह दिसम्बर, 2017 तक पूर्ण करना था।

इन्हें कार्य के प्रगति के अनुसार ससमय R/a Bill का भुगतान किया गया था एवं इनके द्वारा उठाये गये सभी समस्याओं का निराकरण भी किया गया था

संवेदक को परियोजना परिसर में 17042 मी0 ड्रेन बनाने के लिए जगह उपलब्ध कराया गया था एवं निदेश दिया गया था कि कार्य अंतिम छोर से प्रारंभ किया जाय, ताकि चालू नाला में बाधा उत्पन्न न हो इसलिए इनका यह कहना गलत है कि इन्हें मात्र 1/4 क्षेत्र उपलब्ध कराया गया। रूपांकण परामर्शी द्वारा दिये गये रूपांकण के आधार पर ही संवेदक द्वारा कार्य किया गया। रूपांकण की त्रुटियाँ बाद में जाँचोपरांत पायी गई। संवेदक द्वारा लगभग 25 प्रतिशत तक कार्य मेसर्स, शिवा कंसल्टेंसी के द्वारा उपलब्ध नक्शे के आधार पर ही किया गया।

संवेदक द्वारा मात्र रूपांकण परामर्शी पर आरोप लगाना उचित नहीं है क्योंकि उनके द्वारा ही उपलब्ध कराये गये नक्शे से इनके द्वारा लगभग 25 प्रतिशत कार्य किया गया है। रूपांकण परामर्शी, शिवा कंसल्टेंसी द्वारा समर्पित नक्शा दिनांक 15.12.2015 को संवेदक को प्राप्त हो चुका था उसके पश्चात कुछ संशोधन किये गये थे। कुछ समस्याएँ आने पर उसका निराकरण तुरंत ही कर दिया गया। अतः कार्य सही समय पर नहीं पूरा करना संवेदक का उत्तरदायित्व था।

तत्कालीन निदेशक (कार्यक्रम कार्यान्वयन) द्वारा आदेश संख्या– IDA/00/217/18 दिनांक 17.05.2018 एवं ज्ञापांक 830/Tech दिनांक 17.05.2018 द्वारा सकारण आदेश निर्गत किया गया है इसके अनुसार एकरारनामा रद्द करते हुये तीन वर्षों के लिए कालीकृत किया गया एवं EMD की राशि जब्त की गई।

3. एकरारनामा के अनुसार निर्धारित कार्य समाप्ति की अवधि तक संवेदक द्वारा किये गये कार्य की प्रगति अत्यंत ही धीमी थी। संवेदक द्वारा उठाये गये समस्याओं का निराकरण संबंधित पदाधिकारियों द्वारा ससमय किया गया है।

एकरानामा के अनुसार संवेदक को स्थल निरीक्षण कर संतुष्ट होने के उपरांत ही उनके द्वारा निविदा में भाग लिया गया था, जहाँ तक आम चुनाव, NGT, Kolkata एवं Demonotiization का प्रश्न है, जो विचारणीय है। इन बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुये संवेदक को कार्य पूर्ण करने हेतु अतिरिक्त समय दिया गया था, किन्तु इसके बावजूद कार्य की प्रगति अत्यंत धीमी रही।

4. a. **<u>High Water Table & Porosity of Soil in EPIP:-</u>**

औद्योगिक क्षेत्र एवं EPIP, हाजीपुर में उद्योग पूर्व से संचालित है, जिसके कारण कच्चे नाले में पानी का बहाव रहता है। इस कार्य हेतु प्रकाशित NIT के कंडिका– 07 के अनुसार संवेदक द्वारा स्थल निरीक्षण के उपरांत ही निविदा डाला गया था एवं कार्य करने के लिए एकरारनामा किया गया। अतः संवेदक द्वारा उठाया गया यह बिन्दु बेबुनियाद है।

P.T.O

(2)

b. **Non Release of admitted Outstanding Payments for Work done:-**

किये गये कार्य की मापी के उपरांत भुगतान किये जाने वाले राशि 1.76 करोड़ रूपये है, एकरारनामा की कंडिका– 14 (x) (b) के अनुसार "Carry out incomplete work by means at the risk and cost of the contractor" का उल्लेख है, जिसके आलोक में इस संवेदक द्वारा किये गये कार्य के अतिरिक्त अवशेष (बचे हुए) कार्य को दूसरे संवेदक से कराये जाने के आलोक में अधिक लगने वाले अन्तर राशि की गणना के उपरान्त वादी (संवेदक) के भुगतान के संबंध में कार्रवाई किया जाना यथोचित है। वर्तमान में बचे हुए कार्य को कराने हेतु आवश्यक कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। साथ ही संवेदक द्वारा किया गया कार्य कही–कही क्षतिग्रस्त हो गया है, जिसके संबंध में जांचोपरांत क्षति का आकलन कर संवेदक के विरुद्ध Risk and Cost की गणना की जायेगी।

c. **Non Release of Outstanding Payments for Work Executed Beyond Scope of work:-**

कंडिका– 4 (b) के उत्तर के अनुरूप कार्रवाई किया जाना है।

5. कार्यालय आदेश सं0– 20 दिनांक 04.09.2017 के द्वारा संवेदक को पूर्व में ही कालीकृत किया जा चुका था, जिस पर माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश के आलोक में तत्कालीन निदेशक (कार्यक्रम कार्यान्वयन) द्वारा समीक्षा की गई एवं सभी बिन्दुओं पर सुनवाई करते हुये सकारण आदेश ज्ञापांक– 830/Tech दिनांक 17.05.2018 द्वारा निर्गत किया गया।
6. यद्यपि परियोजना के कार्य को 02 फेज में करने का निदेश दिया गया था, किंतु कार्य की भौतिक प्रगति अत्यंत धीमी थी एवं कई बार संवेदक को पत्र देने के बावजूद मात्र लगभग 25 प्रतिशत कार्य किया गया।
7. संवेदक के द्वारा अब तक कुल लगभग 25 प्रतिशत कार्य किया गया है, इसके विरूद्ध संवेदक को रू0 387.50 लाख मात्र का भुगतान किया गया है। एकरारनामा के अनुसार कार्य में संवेदक को 25 प्रतिशत पूँजी निवेश करना है इसलिए संवेदक का यह कहना कि भुगतान लंबित है, अमान्य है। अतिरिक्त कार्य के लिए होने वाले व्यय की गणना वर्तामन में नहीं की गई है।
8. संवेदक द्वारा पत्रों में उठाये गये विभिन्न बिन्दुओं की समक्षा की गई है एवं तत्कालीन निदेशक (कार्यक्रम कार्यान्वयन) द्वारा दिनांक 17.05.2018 को आदेश निर्गत करने के पूर्व संवेदक द्वारा दिये गये प्रतिवेदन पर भी समीक्षा की गई है। इस सकारण आदेश में सभी तकनीकी बिन्दुओं एवं भुगतान से संबंधित बिन्दुवार समीक्षा वर्णित है।

9 & 10. संवेदक M/s Anand Consultants द्वारा एकरारनामे के अनुसार परियोजना के शेष कार्य करने हेतु अनुरोध किया गया है। साथ हीं प्राधिकार द्वारा रखे गये राशि को विमुक्त करने का भी अनुरोध किया गया है। चूंकि M/s Anand Consultants के साथ किये गए एकरारनामा को रदद् किया जा चुका है। पुनः इस रद्द एकरारनामा के अनुसार इनसे शेष कार्य कराना नियमानुकूल नही है।

संवेदक M/s Anand Consultants द्वारा समर्पित लिखित प्रतिवेदन के समीक्षोपरान्त निम्नांकित आदेश निर्गत किया जाता है :–

I. एकरारनामा रद्दीकरण के संबंध में पूर्व सकारण आदेश ज्ञापांक 830/Tech दिनांक 17.05.2018 को मान्य रखते हुए M/s Anand Consultants के साथ हस्ताक्षरित एकरानामा संख्या 103/SBD/2015-16 दिनांक 31.07.2015 को एकरारनामा के कंडिका 14(iii) के अनुसार रदद् ही रहेगा।

(1) 1036

II. एकरारनामा की कंडिका 14(X)(b) के अनुसार Risk Cost की गणना करने के पश्चात् राशि संवेदक से वसूलनीय होगा।

III. निदेशक (कार्यक्रम कार्यान्वयन) के पूर्व आदेश संख्या IDA/00/217/18 दिनांक 17.05.2018 सह पठित ज्ञापांक 830/Tech दिनांक 17.05.2018 द्वारा संवेदक को तीन वर्षों के लिए कालीकृत किया गया था। Blacklisting से संबंधित प्रावधान IDA Contractors Guideline 2009 के कंडिका 10 में वर्णित है, जिसके अनुसार एकरारनामा के शर्तों के अनुसार एकरारित अवधि में कार्य पूर्ण नहीं करने एवं निर्देशों का अनुपालन नहीं करने पर Blacklisting की कार्रवाई की जा सकती है। किन्तु पूर्व आदेश के अनुसार तीन वर्षों के कालीकरण की अवधि दिनांक 17.05.2021 को समाप्त हो चुकी है। माननीय उच्च न्यायालय के दिनांक 22.02.2021 के आदेश द्वारा Blacklisting के आदेश को set aside किया गया है। अतः समीक्षोपरान्त M/s Anand Consultants को प्राधिकार की ओर से इस आदेश के निर्गत की तिथि से संवेदक के निबंधन को कालीकरण से मुक्त किया जाता है।

IV. एकरानामा की कंडिका 1 (iv) में उल्लेख है कि "In the event of the contract being determined or rescinded under provision of the agreement, the performance guarantee and work be stand forfeited in full be absolutely at the disposal of IDA". एकरारनामा रद्दीकरण के साथ Earnest Money Deposit जब्त करने की कार्रवाई की जाती है। माननीय उच्च न्यायालय की एकल खंडपीठ ने भी यह माना है कि EMD जब्त किया जाना एकरारनामा रद्दीकरण का Sequel एवं Consequence है। चूँकि एकरारनामा के कंडिका 14 (iii) के आलोक में एकरारनामा को रद्द किया गया है एवं एकरारनामा की कंडिका 14 (X) के आलोक में एकरारनामा को Determine किया जा रहा है, संवेदक द्वारा दिये गये Performance Guarantee को एकरारनामा के Clause 1. (iv) के अंतर्गत जब्त ही रहेगा।

19.7.2021

निदेशक (कार्यक्रम कार्यान्वयन)

ज्ञापांक : 1419/Legal दिनांक :20/07/2021
प्रतिलिपि : M/s Anand Consultant, House No. – 157/C, Patliputra Colony, Patna -13 को सूचनार्थ प्रेषित।

19.7.2021

निदेशक (कार्यक्रम कार्यान्वयन)

ज्ञापांक : 1419/Legal दिनांक :20/07/2021
प्रतिलिपि : कार्यपालक अभियंता (पी0डी0ए0), आई0डी0ए0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19.7.2021

निदेशक (कार्यक्रम कार्यान्वयन)

ज्ञापांक : 1419/Legal दिनांक : 20/07/2021
प्रतिलिपि : निदेशक (प्रशासन) / प्र0 निदेशक (वित्त), आई0डी0ए0 को सूचनार्थ प्रेषित।

19.7.2021

निदेशक (कार्यक्रम कार्यान्वयन)

ज्ञापांक : 1419/Legal दिनांक :20/07/2021
प्रतिलिपि : प्रबंध निदेशक, आई0डी0ए0 को सूचनार्थ समर्पित।

19.7.2021

निदेशक (कार्यक्रम कार्यान्वयन)